



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 25.12.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 15 पेटी (कुल 720 पच्चे) अवैध शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त आई-20 कार मय फर्जी नंबर प्लेट नं0 DL-2CAM-3427 बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान



एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 15 पेटी (कुल 720 पच्चे) अवैध शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त आई-20 कार मय फर्जी नंबर प्लेट नं0 DL-2CAM-3427 बरामद बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग मु0अ0सं0 209/2025 धारा 345(3)/324(4) बीएनएस व 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन पुत्र नरेश कुमार निवासी ग्राम भदाना थाना सदर जनपद सोनीपत राज्य हरियाणा ।

बरामदगी का विवरण-

- 15 पेटी (कुल 720 पच्चे) अवैध शराब हरियाणा मार्का व घटना में प्रयुक्त आई-20 कार मय फर्जी नंबर प्लेट नं0 DL-2CAM-3427

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 कृष्णवीर सिंह थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 413 पुष्पेन्द्र कुमार थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 751 शादाब थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 1014 कुलदीप कुमार थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-का0 883 उमाशंकर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।



थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 03 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है .



जिनके कब्जे से 03 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1-निखिल पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-हिमांशू पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम बिहारीपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-आशीष पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 03 अवैध तमन्चे .315 बोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री तहसीन खां थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 632 विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 4-है0का0 339 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 5-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 6-का0 114 अमित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 7-का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत ।
- 8-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 25.12.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने का प्रयास करने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

दिनांक 24.12.2025 को पीआरवी 8051 पर वादी श्री अनिल पुत्र लहरी निवासी करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत ने सूचना दी कि उसकी ट्यूबवैल पर 02 व्यक्ति ट्रांसफार्मर चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं । सूचना पर पीआरवी तत्काल मौके पर पहुँची तथा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।



उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1-मुरसलीम पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली । 2-सलीम पुत्र वकील निवासी करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-है0का0 दीपक कुमार पीआरपी 8051 जनपद बागपत ।
2-का0 चा0 89 नीरज पीआरपी 8051 जनपद बागपत ।
3-का0 819 सोनू थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 25.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना

बिनौली पर मु0अ0सं0 412/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आसिफ पुत्र शमशाद निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 711 लेखराज सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 25.12.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 285/25 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर 01 सबमर्सिबल का मोटा केविल व 02 पतले केविल से निकले हुये तार (कुल वजन 03 किलो 400 ग्राम) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.09.2025 को थाना बिनौली पर आवेदक श्री प्रमोद पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम कमाला, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें अवगत कराया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी एवं हरिओम पुत्र दयाराम, किरणपाल पुत्र शोभाराम, रविन्द्र पुत्र जगरेश, बिजेन्द्र पुत्र जसवन्त, बलवीर



पुत्र कालू, सोहनवीर पुत्र जयभगवान, मन्शा पुत्र रामफल, सोनू पुत्र फतेहसिंह, सोनू पुत्र गांधी, सुनील पुत्र कलीराम, समस्त निवासीगण ग्राम कमाला, थाना सिंघावली अहीर, जनपद बागपत तथा एक सरकारी ट्यूबवेल संख्या-161 के ताले तोड़कर ट्यूबवेल में रखा सामान मोटर का पंखा, लगभग 250 फिट केबिल, स्टार्टर, एरेटर, कट-आउट आदि चोरी कर लिया गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर धारा मु0अ0सं0 285/25 धारा 331(4)/305(A) BNS पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 285/25 धारा 331(4)/305(A) BNS में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर 01 सबमर्सिबल का मोटा केविल व 02 पतले केविल से निकले हुये तार (कुल वजन 03 किलो 400 ग्राम) बरामद हुआ है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में दिनांक 09-10-2025 को अभियुक्त अश्वनी पुत्र सुदेश पाल निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद को मय माल बरामदगी के साथ पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राशिद पुत्र समीनु निवासी ग्राम अंगदपुर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

01 समरसेविल का मोटा केविल व 02 पतले केविल से निकले हुये तार (**जिनका कुल वजन 03 किलो 400 ग्राम**)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2.का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।